संख्या:15/2025/06बीपी/35-1-2025/35-1099/52/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 21 मार्च,2025

विषय- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत जनपद बांदा के डेयरी प्लाण्ट हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश सं0-02/2019/07 बीपी/35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा जनपद बांदा में 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट की स्थापना हेतु रू. 103.16 करोड़ की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 26.47 करोड़ की धनराशि तथा शासनादेश सं0-23/2019/125बीपी/35-1-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 76.69 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमोदित लागत रू. 103.16 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त हुई है।

2. जनपद बांदा में 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट फिजिबल न होने के कारण विभागीय प्रस्ताव पर जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन डेयरी प्लाण्ट तथा जनपद झांसी में वर्तमान 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट को 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता बृद्धि के प्रस्ताव को नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. जनपद बांदा एवं जनपद झांसी की विचाराधीन दोनो परियोजनाओं की कुल लागत व्यय वित्त समिति द्वारा रू. 9629.20 लाख अनुमोदित की गयी है। जनपद बांदा की पूर्व परियोजना हेतु अवमुक्त रू. 103.16 करोड़ दुग्ध विकास विभाग के पास उपलब्ध है। अनुसचिव दुग्ध विकास विभाग के पत्र दिनांक 28 नवम्बर 2024 द्वारा परियोजना हेतु उक्त शासनादेशों से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 द्वारा रू. 19.34 करोड़ का ब्याज अर्जित किया जाना इंगित किया गया है।

4. दुग्ध विकास विभाग द्वारा जनपद बांदा में 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट को लाभप्रद/फिजिबल न होने के कारण इसके स्थान पर जनपद बांदा एवं झांसी की दो नवीन डेयरी प्लाण्ट से सम्बन्धित परियोजनाओं के प्रसताव को नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप शासनादेश सं0-02/2019/07 बीपी/35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा स्वीकृत जनपद बांदा में 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट लागत रू. 103.16 को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5. शासनादेश सं0-02/2019/07 बीपी/35-1-2019 दिनांक 23 जनवरी, 2019 तथा शासनादेश सं0-23/2019/125बीपी/35-1-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा जनपद बांदा के डेयरी प्लाण्ट हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रू. 103.16 करोड़ को राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में एवं इस पर अर्जित ब्याज की धनराशि को सुसंगत राजस्व पक्ष के प्राप्तिशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना नियोजन विभाग को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-5-303-X-2024-25 दिनांक: 21 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:15/2025/06बीपी(1)/35-1-2025/35-1099/52/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम ।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर / जालौन / हमीरपुर/बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/चित्रकूट/ललितपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।